

Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI(SAHARSA)
[Miscellaneous Case No.-83/2022]

Rajendra Das & OthersPetitioner.

Versus

The State of Bihar & Others.....Opposite Parties.

Sl No	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.06.2025	आदेश यह विविध वाद अपर समाहर्ता, सुपौल द्वारा नामांतरण पुनरीक्षण वाद संख्या- 34/2018 (चन्द्रिका दास बनाम राजेन्द्र दास वगैरह) में दिनांक- 04.03.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। विपक्षीगण की ओर से जबाव दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-31.05.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जबाव Reply/Rejoinder में अंकित है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम के अन्तर्गत नामांतरण पुनरीक्षण वाद में समाहर्ता/अपर समाहर्ता के पारित आदेश के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील/रिविजन का प्रावधान निरूपित नहीं है। वर्तमान वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में Petitioner को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के परामर्श के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। Rmk. 16/6/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Rmk. 16/6/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

